



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग भारत सरकार

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(Ministry of Education, Dept. of School Education & Literacy, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया(असम)/ REGIONAL OFFICE, TINSUKIA (ASSAM)

प्रांगण : केन्द्रीय विद्यालय तिनसुकिया/Campus: Kendriya Vidyalaya Tinsukia

राजा अली रोड, नौ-पुखुरी, जिला तिनसुकिया - 786125/Raja Ali Road, Nau-Pukhuri, Tinsukia - 786125

दूरभाष /Tel:0374-2800031/2800056/2800091, वेबसाईट/Website:rotinsukia.kvs.gov.inई-मेल/ E-mail: ro-tinsukia@kvs.gov.in

F.No.42058/2026-27/KVS-RO/TSK/Admin/ **12518-24**

Date: 10.08.2026

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया में दिनांक 06.08.2026 को आयोजित विभागीय अनुवीक्षण समिति की बैठक में समिति सदस्यों की संस्तुति/सिफारिशों के आधार पर और DoPT O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) दिनांक 19.05.2009, 01.11.2010 & F.No. 35034/ 3/2015-Estt(D) दिनांक 27/28-09-2016 एवं के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 11029-16/ 2009-KVSHQ(Admin.)/ दिनांक 09.02.2011 एवं 110239/51/2017/बजट/केविसं/ मुख्यालय दिनांक 09.11.2017 में निहित प्रावधानों तथा के.वि.सं. के दिशा-निर्देशों के अनुसार के.वि.सं. तिनसुकिया संभाग के अधीन संचालित केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित तिथि से वित्तीय उन्नयन, संसोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम (MACP Scheme) के अंतर्गत कॉलम 08 में वर्णित संशोधित वेतनमान एवं स्तर प्रदान किया जाता है।

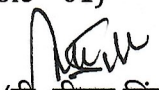
On the recommendation of the Departmental Screening Committee members in the meeting held on 06.08.2026 at Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Tinsukia and in accordance with the provisions contained in DoPT O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2009, 01.11.2010 & F.No. 35034/ 3/2015-Estt(D) dated 27/28-09-2016 and K.V.S.(H.) New Delhi's Memorandum No. 11029-16/2009-KVSHQ(Admin.)/ dated 09.02.2011 & 110239/51/2017/Budget/KVS/Headquarters dated 09.11.2017 & guideline issued by KVS, the following non-teaching staff working in the Kendriya Vidyalaya Sangathan, Tinsukia Region is hereby granted Financial Upgradation in the revised pay scale and level mentioned in column 08 under the Modified Assured Career Progression Scheme from the date mentioned in column number 06.

Sl. No.	Name of Employee (Mr./Mrs.)	Designation	KV/RO where working	Date of joining on Present Post	Date of grant of MACP	MACP I/II/III	Pay Level as per 7 th CPC
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mintu Bhuyan	Sub Staff	KV Dinjan	08.05.1996	08.05.2026	MACP - III	Level - 04

विभागीय अनुवीक्षण समिति द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया, लेकिन मामले के सामने वर्णित कारणों से वित्तीय उन्नयन हेतु अनुशंसा नहीं की गई।/The following proposal was considered by the Departmental Screening Committee but was not recommended for financial upgradation for the reasons mentioned against them.

Sl. No.	Name of Employee	Designation	KV where working	Reason for not granting of MACP
1	Mr. Sebak Bhowmick	SSA	KV Dibrugarh	May be consider in Next DPC due to EOL

कुल - 02 प्रकरण (01 पात्र एवं 01 अपात्र)/Total Case: 02 (Eligible - 01 & Ineligible - 01)


(टी. प्रीतम सिंह)
उपायुक्त

वितरण: -

1. सम्बंधित कर्मचारी / Employee Concerned.
2. प्राचार्य, सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति सम्बंधित कर्मचारी को उचित पावती के साथ सौंपें। कृपया सम्बंधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि कर आदेश की प्रति व्यक्तिगत पत्रावली में नत्थी करें साथ ही सम्बंधित कार्मिक से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प पत्र (Option Form) एवं वचनबद्धता (Undertaking) प्राप्त कर सम्बंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं विकल्प पत्र के साथ इस आदेश की तिथि से एक माह की भीतर वित्त अधिकारी के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया को प्रेषित करें। बकाया के भुगतान से पहले संबंधित कर्मचारी से एक वचन पत्र प्राप्त किया जा सकता है कि नियमों के अनुसार अपात्र पाए जाने पर किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी। Principal, concerned Kendriya Vidyalaya with the request to hand over a copy of this order to the concerned employee with proper acknowledgement. Please make the necessary entry in the service book of the concerned employee and attach a copy of the order in the personal file. Also, obtain the Option Form and Undertaking for pay fixation from the concerned personnel and send the service book of the concerned employee along with the pay fixation form and option letter to the Finance Officer K.V.S., Regional Office, Tinsukia within one month from the date of this order. An undertaking may be obtained from the employee concerned before payment of Arrears/dues that any over payment made will be recovered in case found ineligible as per rules.
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), के.वि.सं. (मु.) नई-दिल्ली को सूचनार्थी/Joint Commissioner (Admin), KVS (HQ) New Delhi.
4. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थी/Deputy Commissioner, KVS All Regional Office.
5. वित्त अधिकारी, के.वि.सं. (क्षे.का.), तिनसुकिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु//FO KVS RO Tinsukia.
6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के सचिव एवं अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित / Secretary & President, All recognized service associations of Kendriya Vidyalaya Sangathan.
7. गार्ड फाईल/Guard File.